Sixteenth Loksabha

pan>

Title: Need to check trafficking of girls and women in Bihar.

माननीय सभापति : सभा की अनुमति हो तो सभा की कार्यवाही शून्य काल की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य: सहमति है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): सभापति महोदय, लगातार देश और दुनिया में एक घटनाक्रम को सुनकर दुनिया शर्मसार है। बिहार का बालिका-गृह, बिहार का फतवा स्कूल में जो घटनाएं हुई हैं और बिहार के बालिका गृह में लगातार यौन शोषण की परत खुल रही है, सरकार ने सीबीआई जांच के लिए आदेश दिया है और जांच की शुरूआत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुओ-मोटो नोटिस लिया है। एक बालिका-गृह नहीं, उस बालिका-गृह के बाद कई ऐसे गृह हैं, जहां पर सीबीआई जब गई तो उनके उस गृह में कॉन्डम, उनके यहां यौन शोषण के बाद ऑपरेशन थिएटर, रूम, जिसने उस ठाकुर के खिलाफ गवाही दी थी, उसका गायब हो जाना और फिर दूसरे बालिका गृह से 11 महिलाओं का गायब होना, बच्चियों का गायब होना, इस पर सीबीआई लगातार नज़र रख रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से सुओ-मोटो नोटिस लिया है और पटना उच्च न्यायालय ने भी नोटिस लिया है तथा वहां के मुख्य मंत्री ने भी कहा है कि मैं मॉनिट्रिंग करवाना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ इतना ही सब्मिशन है कि उसमें कई सफेदपोश, बड़े-बड़े पूर्व मुख्य मंत्री, कई मंत्री, कई नेता, कई सरकार के कई लोग, सफेदपोश, पदाधिकारी और माफियाओं का फोटो, उन माफियाओं के साथ आ चुका है और शंका है कि यदि इतने बड़े नेता, पदाधिकारी, माफिया और पूंजिपति लोग शामिल हैं तो निश्चित रूप यह हो सकता है कि कल सरकार की तरफ से या कोई ऐसा दबाव सीबीआई पर पड़े कि जांच प्रभावित हो, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिट्रिंग होनी चाहिए । इसके साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि बिहार के सभी बालिका-गृहों की जांच होनी चाहिए । सिर्फ मुजफ्फरपुर, मधुबनी, छपरा, आरा, हाजीपुर में जो गृह हैं, वहीं नहीं, बिहार के सभी बालिका गृहों की जांच सीबीआई से कराई जाए । यह इंटरनेशनल इश्यु बन चुका है, इंटरनेशनल दबाव हो चुका है, इसलिए इसकी जांच कराई जाए । हम लोग लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।